

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 487 / 2022
अनवान : -

1. दयाराम पुत्र जैसदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सोहनदास पुत्र डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. गिरधारीदास पुत्र डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. गजानन्द पुत्र डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. ओमप्रकाश पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. हुणतराम पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. दुलाराम पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. बनवारीलाल पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. शिशपाल पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. सबरती पत्नी मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. महावीर पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. रमेश कुमार पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. झुमादेवी पुत्री राधाकृष्ण जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. गिरदावरी पुत्री राधाकृष्ण जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
14. सन्तोष पुत्री राधाकृष्ण जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
15. गीता पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
16. धापा पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
17. मीरा पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
18. बजरंग माता इमरती पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
19. शिशपाल पुत्र इमरती पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
20. चिमनदास पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
21. भंवरदास पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
22. सरदारदास पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
23. मांगीलाल पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
24. कान्ता पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
25. रामु पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
26. प्रमेश्वरी पुत्र जैसदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
27. सावित्री पुत्री जैसदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
29. सरबती पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
30. सरबती पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
31. माया पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
32. मदन पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 09/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 328/317 की कुल 16.6350 हैक्ट भूमि में लिछमा बेवा भजनदास का 1/8 हिस्सा भूमि अर्थात 2.079375 हैक्ट भूमि दर्ज है।

वादी के पिता जैसदास, डुंगरदास व बिशनदास, लिछमा पत्नी भजनदास के देवर थे वादी की बड़ी मा लिछमा के पति भजनदास का देहान्त हो गया है तथा लिछमा ने बखूबी अपनी कृषि भूमि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर अपने देवर डुंगरदास, जैसदास व बिशनदास के पक्ष में बरोबरू गवाहन वसीयत कर दी जिसके मुबिक डुंगरदास, जैसदास व बिशनदास उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। यही बिनाय दावा है। लिछमा पत्नी भजनदास का देहान्त हो चुका है बाद देहान्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 तीनों बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 संयुक्तत व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 संयुक्तत व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 व प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 संयुक्तत 1/3 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 1/3 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8, 10, 11, 20 ता 25 व 29 ता 31 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 ता 8, 10, 11, 20 ता 25 व 29 ता 31 को कोई ऐतराज नहीं है, शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 28 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा खुईया सम्वत 2071-74 खाता स0 238 , चित्रप्रति वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र लिछमा दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 328/317 की कुल 16.6350 हैक्ट भूमि में लिछमा बेवा भजनदास का 1/8 हिस्सा भूमि अर्थात 2.079375 हैक्ट भूमि दर्ज है। वादी के पिता

जैसदास, डुंगरदास व बिशनदास, लिछमा पत्नी भजनदास के देवर थे वादी की बड़ी मा लिछमा के पति भजनदास का देहान्त हो गया है तथा लिछमा ने बखूबी अपनी कृषि भूमि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर अपने देवर डुंगरदास, जैसदास व बिशनदास के पक्ष में बरोबरू गवाहन वसीयत कर दी जिसके मुबिक डुंगरदास, जैसदास व बिशनदास उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। यही बिनाय दावा है। लिछमा पत्नी भजनदास का देहान्त हो चुका है बाद देहान्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 तीनों बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 संयुक्तत व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 संयुक्तत व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 व प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 संयुक्तत 1/3 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 1/3 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 328/317 की कुल 16.6350 हैक्ट भूमि में लिछमा बेवा भजनदास का 1/8 हिस्सा भूमि अर्थात 2.079375 हैक्ट भूमि दर्ज है, वादी का कथन है कि वादी के पिता जैसदास, डुंगरदास व बिशनदास, लिछमा पत्नी भजनदास के देवर थे वादी की बड़ी मा लिछमा के पति भजनदास का देहान्त हो गया है तथा लिछमा ने बखूबी अपनी कृषि भूमि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर अपने देवर डुंगरदास, जैसदास व बिशनदास के पक्ष में बरोबरू गवाहन वसीयत कर दी जिसके मुबिक डुंगरदास, जैसदास व बिशनदास उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। यही बिनाय दावा है। लिछमा पत्नी भजनदास का देहान्त हो चुका है बाद देहान्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 तीनों बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 संयुक्तत व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 संयुक्तत व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 व प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 संयुक्तत 1/3 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 1/3 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8, 10, 11, 20 ता 25 व 29 ता 31 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 328/317 के ख0न0 567 की 0.8730 हैक्ट,

अ. अ. अधिकारी
नोहर

ख0न0 701 की 2.1760 हैक्ट, ख0न0 702 की 5.7810 हैक्ट, ख0न0 766 की 7.8050 हैक्ट 4 खसराजात की कुल 16.6350 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा अर्थात् 2.79375 हैक्ट भूमि में लिच्छमा पत्नी भजनदास का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 व 27 को संयुक्तत बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 संयुक्तत व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 संयुक्तत व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 व प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 को संयुक्तत 1/3 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 को 1/3 हिस्सा भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 487 / 2022

अनवान : -

1. दयाराम पुत्र जैसदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्


1. सोहनदास पुत्र डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. गिरधारीदास पुत्र डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. गजानन्द पुत्र डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. ओमप्रकाश पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. हुणतराम पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. दुलाराम पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. बनवारीलाल पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. शिशपाल पुत्र बिशनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. सबरती पत्नी मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. महावीर पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. रमेश कुमार पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. झुमादेवी पुत्री राधाकृष्ण जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. गिरदावरी पुत्री राधाकृष्ण जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
14. सन्तोष पुत्री राधाकृष्ण जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
15. गीता पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
16. धापा पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
17. मीरा पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
18. बजरंग माता इमरती पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
19. शिशपाल पुत्र इमरती पुत्री डुंगरदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
20. चिमनदास पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
21. भंवरदास पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
22. सरदारदास पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
23. मांगीलाल पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
24. कान्ता पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
25. रामु पुत्र मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
26. प्रमेश्वरी पुत्र जैसदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
27. सावित्री पुत्री जैसदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
29. सरबती पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
30. सरबती पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
31. माया पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।
32. मदन पुत्री मोडदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 487 सन 2022 निर्णय दिनांक - 09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स० 328/317 के ख०न० 567 की 0.8730 हैक्ट, ख०न० 701 की 2.1760 हैक्ट, ख०न० 702 की 5.7810 हैक्ट, ख०न० 766 की 7.8050 हैक्ट 4 खसराजात की कुल 16.6350 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा अर्थात् 2.79375 हैक्ट भूमि में लिछमा पत्नी भजनदास का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 व 27 को संयुक्तत बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 संयुक्तत व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 संयुक्तत व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 व प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 को संयुक्तत 1/3 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 को 1/3 हिस्सा भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2029 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर